अखिल भारतीय वैष्णव (चतु: सम्प्रदाय) विकास ट्रस्ट (रजि.), मुम्बई (महाराष्ट्र)
के अधीन संचालित

अखिल भारतीय वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

शान्ति कुंज के पीछे, बिरला फार्म हाऊस रोड नम्बर 5, हरिपुरकला गांव, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

-: प्रथम मैनेजिंग कमेटी :-

संरक्षक	जयन्ति लाल बी. वैष्णव, दहीसर
अध्यक्ष	रामचन्द्र जे. वैष्णव, भयन्दर
उपाध्यक्ष	1 इन्द्रजीत वैष्णव, कान्दीवली
	2 महेन्द्र कुमार वैष्णव, टुमकुर
	3 कृष्णावतार शर्मा (दिवाकर), जयपुर
	4 केसूदास वैष्णव, भयन्दर
महासचिव	एन.डी.निम्बावत, एडवोकेट जोधपुर
संयुक्त सचिव	1 ब्रह्मपाल शर्मा, हरिद्वार
	2 रमेश बी. वैष्णव, दहीसर
	3 मोतीलाल वैष्णव, जोधपुर
कोषाध्यक्ष	भानुशंकर वैष्णव, बोरीवली (ईस्ट)
उपकोषाध्यक्ष	गोपाल दास वैष्णव, कादेड़ा
मुख्य संयोजक	गजेन्द्र कुमार शर्मा मथुरा
मुख्य समन्वयक	भगवानदास वैष्णव उदयपुर
अंकेक्षक	सुरेश वैष्णव सी.ए., मुम्बई
कार्यकारिणी सदस्य	1 रामचन्द्र वैष्णव मेड़ता रोड़
	2 लखनदास वैष्णव रायपुर
	3 सत्यनारायण रामावत, पुष्कर
	4 इंजि. राम निवास वैष्णव, अजमेर
	5 ओम प्रकाश वैष्णव गोविन्द स्वा, जोधपुर
	6 विष्णुदास वैष्णव मधुराई
	7 राधाकिशन वैष्णव, अम्बिका ज्वैलर्स
	8 श्याम सुन्दर अग्रावत किशनगढ़
	9 देवकिशन वैष्णव, भयन्दर (ईस्ट)
	10 कल्याणदास वैष्णव, भयन्दर (वेस्ट)
	11 डा. चन्द्र कुमार देवमुरारी, ब्यावर
	12 गौत्तमदास वैष्णव (बालेसर) जोधपुर
	13 गणपतलाल स्वामी(कुचामन सिटी)जोधपुर
	14 रतनदास वैष्णव बैंगलोर
	15रामकिशन शर्मा वैष्णव जयपुर

R. Na.

धर्मशाला के विद्यमान नियम/उप नियम/विधान

-:ट्रस्ट का नामः-

इस ट्रस्ट का नाम अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला ट्रस्ट, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) है एवं रहेगा ।

-:ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय का पताः-

शक्ति कुंज के पीछे,बिरला फार्म हाऊस रोड़ नम्बर 5, हरिकला गांव, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) है एवं रहेगा।

-:ट्रस्ट के शाखा कार्यालयः-

इस ट्रस्ट के शाखा कार्यालय अध्यक्ष तथा महासचिव के पते है एवं रहेंगे ।

वर्तमान में शाखा कार्यालय

अध्यक्ष - **रामचन्द्र जे. वैष्णव**
श्रीमती पीसीबाई जेठीदास वैष्णव समाज भवन,
टेलीफोन एक्सचेंज के पास, फाटक रोड़, वैंकटेश पार्क, भयन्दर (पश्चिम), महाराष्ट्र

महासचिव- **एन.डी.निम्बावत, एडवोकेट**
"श्रीराम" 106, शिवनाथ नगर, सूथला, चौपासनी रोड़, जोधपुर, राजस्थान

-:भाषा, कार्यक्षैत्र व लेखा वर्षः-

इस ट्रस्ट के कार्य संचालन की भाषा हिन्दी है एवं रहेगी, ट्रस्ट का कार्यक्षैत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा तथा ट्रस्ट का लेखा वर्ष प्रत्येक वर्ष1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक रहेगा ।

-:संचालनः-

इस ट्रस्ट का संचालन इस ट्रस्ट की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा ।

-: उद्देश्य एवं कार्य :-

1. अखिल भारतीय वैष्णव(चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार भवन पर अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाना, उसका संचालन करना एवं रख रखाव करना इत्यादि ।
2 अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार में वैष्णव समाज सहित अन्य आगन्तुक यात्रिगण के ठहरने, खाने, पीने हेतु समुचित व्यवस्था करना ।
3 अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार में विकास ट्रस्ट, विकास परिषद्, मैनेजिंग कमेटी इत्यादि की बैठकें, आम सभा, सम्मेलन/ अधिवेशन, महासम्मेलन/महाअधिवेशन इत्यादि आयोजित करना ।
4 अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार में विभिन्न प्रकार के हिन्दू धर्म के उत्सव, महोत्सव, अनुष्ठान, यज्ञ जैसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित करना ।
5 अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार में समय-समय पर धार्मिक कथाओं, प्रवचनों एवं मंचों का आयोजन करना ।
6 हिन्दू धर्म के विभिन्न धर्माचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करना, उन्हें दान दक्षिणा भेंट इत्यादि देना ।
7 वैष्णव धर्म के चारों सम्प्रदायों सहित इन सम्प्रदायों के लोगों से जुड़े वैवाहिक रिश्तों वाले वैष्णव समाज के अन्य सम्प्रदायों एवं पंथों के प्रचार एवं प्रसार हेतु कार्यक्रम बनाकर उनको क्रियान्वित करना ।
8 अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार में पुस्तकालय का संचालन करना तथा धार्मिक शिक्षाओं के लिए कैम्प आयोजित करना ।
9 अन्य आयोजन करना

R. Nai—

-: ट्रस्टियों की पात्रता (योग्यता) :-

1. वयस्क हो तथा 18 वर्ष की उम्र पार कर ली हो ।
2. जो वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय के व्यक्ति व उनसे वैवाहिक रिश्तों से जुड़े वैष्णव सम्प्रदाय के अन्य सम्प्रदाय व पन्त के लोग) हो ।
3. सनातन धर्मी हिन्दू हो ।
4. अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार के खरीदने अथवा निर्माण हेतु जिन समाज के दानदाताओं / भामाशाहों ने इक्यावन हजार या इससे अधिक राशि रोकड़ देकर या कोई कमरा/ हॉल या भवन या कोई सुविधा उपलब्ध करवायी है वे सभी दानदाता समाज बन्धु राशिनुसार प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, मुख्य संस्थापक ट्रस्टी, संस्थापक ट्रस्टी अथवा आजीवन ट्रस्टी कहलायेंगे / होंगे, जिन्होंने नियमानुसार तयशुदा राशि ट्रस्टीशिप के शुल्क के रूप में जमा करा दी हो तथा अखिल भारतीय वैष्णव धर्मशाला की मैनेजिंग कमेटी ने उसको ट्रस्टीता प्रदान कर दी हो

-: ट्रस्टीता के प्रकार :-

1. प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी

रूपये 11,00,000/- (ग्यारह लाख) से अधिक राशि देने वाला भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी बन सकेगा तथा इस प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी के परिवार का एक सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी रह सकेगा ।

2. मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी

रूपये 11,00,000/- (ग्यारह लाख) राशि देने वाला भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी बन सकेगा तथा इस मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी के परिवार का एक सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी रह सकेगा।

3. संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी

रूपये 5,55,000/- (पांच लाख पचपन हजार) अथवा उससे अधिक लेकिन 11,00,000/- (ग्यारह लाख) से कम राशि देने वाला भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी बन सकेगा तथा इस संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी के परिवार का एक सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी रह सकेगा ।

4. मुख्य संस्थापक ट्रस्टी

रूपये 2,51,000/- (एक लाख इक्यावन हजार) अथवा उससे अधिक लेकिन 5,55,000/- (पांच लाख पचपन हजार) से कम राशि देने वाला भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का मुख्य संस्थापक ट्रस्टी बन सकेगा, इस मुख्य संस्थापक ट्रस्टी के परिवार का एक सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का मुख्य संस्थापक ट्रस्टी रह सकेगा ।

5. संस्थापक ट्रस्टी

रूपये 1,00,000/- (एक लाख) अथवा उससे अधिक लेकिन 2,51,000/- (दो लाख इक्यावन हजार) से कम राशि देने वाला भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का संस्थापक ट्रस्टी बन सकेगा, इस संस्थापक ट्रस्टी के परिवार का एक सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का संस्थापक ट्रस्टी रह सकेगा ।

6. आजीवन ट्रस्टी

रूपये 51,000/- (इक्यावन हजार) अथवा उससे अधिक लेकिन 1,00,000/- (एक लाख) से कम राशि देने वाला भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का आजीवन ट्रस्टी बन सकेगा ।

7. सहयोगकर्ता

रूपये 11,000/- (ग्यारह हजार) अथवा उससे अधिक लेकिन 51,000/- (इक्यावन हजार) से कम राशि सहयोग राशि के रूप में अथवा ऐसी राशि के बराबर का कोइ सामान या आइटम देनेवाला भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का सहयोगकर्त्ता कहलायेगा ।

6. आमन्त्रित ट्रस्टी

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले वैष्णव बन्धु को वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार हेतु आमन्त्रित ट्रस्टी के रूप में मैनेजिंग कमेटी द्वारा मनोनित किया जा सकेगा ।

--: कोष :--

अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार का एक स्थायी बचत कोष होगा जिसका बैंक खाता संधारित होगा निम्नांकित राशि से यह कोष संचालित होगा ।

1. प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, मुख्य संस्थापक ट्रस्टी, संस्थापक ट्रस्टी एवं आजीवन ट्रस्टी से प्राप्त ट्रस्टीता शुल्क राशि ।
2. प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, मुख्य संस्थापक ट्रस्टी, संस्थापक ट्रस्टी एवं आजीवन ट्रस्टी अथवा वैष्णव समाज के किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण हेतु अथवा भवन में अन्य सुविधाऐं देने हेतु सहयोग राशि ।
3. मैनेजिंग कमेटी द्वारा वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार संचालित करने हेतु प्राप्त दान, अनुदान, चंदा, भेट, अन्य विभिन्न संस्थाओं एवं धर्मशालाओं द्वारा प्राप्त सहयोग अथवा ऋण राशि ।
4. वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का एक अथवा एक से अधिक बैंक खाता हरिपुरकला गांव, हरिद्वार अथवा मैनेंजिग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाकर किसी भी स्थान पर किसी भी राष्ट्रीयकृत, अन्तराष्ट्रीय बैंक में अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार के नाम से खुलवाया जा सकेगा ।
5. अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार के नाम से खुले बैंक खाते में राशि आहरण करने के लिए धर्मशाला के संरक्षक, अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से आहरण हो सकेगा जिसमें अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

--: ट्रस्टीयों की अयोग्यता, ट्रस्टीता समाप्ति व ट्रस्टीयों का निष्कासन :--

1. अवयस्क हो
2. न्यायालय द्वारा दिवादिया या अपराधी घोषित होने पर अथवा उसके विरूद्व न्यायालय में किसी प्रकार का कोई फौजदारी प्रकरण (दहेज प्रताड़ना, एक्सीडेन्ट अथवा डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित के अलावा) लम्बित होने पर उसकी ट्रस्टीता स्वतः ही समाप्त मानी व समझी जायेगी लेकिन यदि वह उस फौजदारी प्रकरण में आरोप मुक्त या दोष मुक्त हो जाता है तो उसकी प्रतिलिपि देने पर उसकी ट्रस्टीता पुनः कायम की जा सकेगी ।
3. सक्षम चिकित्सक द्वारा पागल या विकृत मस्तिष्क घोषित होने पर
4. मैनेजिंग कमेटी द्वारा एक बार ट्रस्टीता निरस्त कर दी गई हो

5. मृत्यु हो जाने पर
6. स्वयं त्याग पत्र देने पर
7. निष्काषित किये जाने पर
8. अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार के उद्देश्यों के विपरीत कार्य व्यवहार/ आचरण करने पर ।
9. समाज द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्व होने पर ।

–: ट्रस्टीयों के अधिकार :–

1. प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी के अधिकार

भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु जो इस धर्मशाला के लिए रूपये 11,00,000/– (ग्यारह लाख) अथवा उससे अधिक राशि देगा उसे इस धर्मशाला का प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी कहलाने का अधिकार होगा तथा ऐसी राशि देने वाले को राशि के अनुसार धर्मशाला के हॉल अथवा कमरे पर उसके परिवार के किसी एक ट्रस्टी अथवा संयुक्त फोटो एवं परिवार का संक्षिप्त परिचय एक निश्चित आकार में लगाने का अधिकार होगा । इस प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी के परिवार का एक सदस्य पीढ़ि दर पीढ़ि वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी रहेगा लेकिन उसके लिए जो ट्रस्टी वर्तमान में प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी है वो अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करेगा। **प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी को अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार में स्वयं के परिवार सहित किसी भी वैष्णव बन्धु को 15 दिन तक निःशुल्क ठहराने का अधिकार होगा लेकिन इसकी कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी एवं स्थान रिक्त होने पर ही स्थान उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।**

2. मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी के अधिकार

भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु जो इस धर्मशाला के लिए रूपये 11,00,000/– (ग्यारह लाख) राशि देगा उसे इस धर्मशाला का मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी कहलाने का अधिकार होगा तथा ऐसी राशि देने वाले को राशि के अनुसार धर्मशाला के हॉल अथवा कमरे पर उसके परिवार के किसी एक ट्रस्टी अथवा संयुक्त फोटो एवं परिवार का संक्षिप्त परिचय एक निश्चित आकार में लगाने का अधिकार होगा । इस मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी के परिवार का एक सदस्य पीढ़ि दर पीढ़ि वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार का मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी रहेगा लेकिन उसके लिए जो ट्रस्टी वर्तमान में मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी है वो अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित करेगा। **मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी को अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार में स्वयं के परिवार सहित किसी भी वैष्णव बन्धु को 15 दिन तक निःशुल्क ठहराने का अधिकार होगा लेकिन इसकी कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी एवं स्थान रिक्त होने पर ही स्थान उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।**

3. संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी के अधिकार

भारत वर्ष का कोई वैष्णव बन्धु जो इस धर्मशाला के लिए रूपये 51,000/– (इक्यावन हजार) अथवा उससे अधिक लेकिन रूपये 1,00,000/– (एक लाख) से कम राशि देगा उसे इस धर्मशाला का आजीवन ट्रस्टी कहलाने का अधिकार होगा **आजीवन ट्रस्टी को अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार में स्वयं के परिवार सहित किसी भी वैष्णव बन्धु को 3 दिन तक निःशुल्क ठहराने का अधिकार होगा लेकिन इसकी कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी एवं स्थान रिक्त होने पर ही स्थान उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।**

–: मैनेजिंग कमेटी :–

मैनेजिंग कमेटी निम्न पद होंगे

संरक्षक	एक
अध्यक्ष	एक
उपाध्यक्ष	चार
महासचिव	एक
संयुक्त सचिव	तीन
कोषाध्यक्ष	एक
उपकोषाध्यक्ष	एक
मुख्य संयोजक	एक
मुख्य समन्वयक	एक
अंकेक्षक	एक
कार्यकारिणी ट्रस्टी	पन्द्रह

–: मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल :–

धर्मशाला की **मैनेजिंग कमेटी** का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा उसके पश्चात् प्रजातांत्रिक पद्वति द्वारा पुनः निर्वाचन करवाकर **मैनेजिंग कमेटी** का गठन किया जायेगा जिसमें भाग लेने का अधिकार केवल इस धर्मशाला के प्रमुख संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी, मुख्य संस्थापक ट्रस्टी, संस्थापक ट्रस्टी एवं आजीवन ट्रस्टी को ही होगा इसके अलावा किसी को अधिकार नहीं होगा ।मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल प्रस्ताव लेकर बढ़ाया भी जा सकेगा ।

–: समितियां :–

धर्मशाला की मैनेजमेंट कमेटी समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की स्थाई अथवा अस्थाई समितियां बना सकेगी जिनमें मुख्य निम्न प्रकार की है :–
चुनाव समिति, सलाहकार समिति, आयोजन समिति, वित्तीय समिति, महिला समिति युवा समिति व कार्यानुसार अन्य कोई समिति

–: मैनेजिंग कमेटी के कार्य :–

1. धर्मशाला के उदद्श्यों की कियान्वित्ति हेतु कार्य करना, धर्मशाला की सम्पत्ति को सुरक्षा व संरक्षण देते हुए इसमें वृद्वि करना ।
2. नए ट्रस्टी बनाना

3. वार्षिक बजट तैयार करना
4. वैतनिक/ अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा वेतन भते आदि तय करना ।
5. वार्षिक लेखे तैयार करना ।
6. मैनेजमेंट कमेटी के ट्रस्टीयों पर लगे आरोपों की जांच तथा उस पर कार्यवाही करना।
7. विभिन्न समितियां गठित करना ।
8. नियम उप नियम बनाना
9. साधारण सभा के निर्णयों प्रस्तावों की पालना करना
10. धर्मशाला की सम्पति पर नाजायज कब्जाधारियों को बेदखल करने की कार्यवाही करना ।
11. धर्मशाला भवन के सुनियोजित संचालन हेतु व्यवस्था एवं रखरखाव के लिए नीति निर्धारण कर नियमित आमदनी के स्त्रोतों का सृजन करना, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संतुलित कार्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना।
12. ट्रस्टीता समाप्ति एवं निष्कासन की कार्यवाही करना ।

-: मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें एवं कोरम :-

1. मैनेजमेंट कमेटी की एक वर्ष में कम से कम 1 बैंठक अनिवार्य रूप से आयोजित होगी जिसकी लिखित सूचना समस्त पदाधिकारियों / ट्रस्टीगणों को 30 दिवस पूर्व सामाजिक पत्रिका, एस एम एस, वॉटसप, संचार के अन्य साधन तथा धर्मशाला की वेबसाईट पर, फोन, मोबाईल, पत्र इत्यादि द्वारा दी जा सकेगी ।
2. मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कोरम मैनेजमेंट कमेटी की कुल संख्या का 1/3 होगा, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करनी होगी लेकिन वही बैठक पुनः 30 मिनट बाद उसी स्थान पर आयोजित हो सकेगी । पुनः होने वाली बैठक का एजेण्डा पूर्ववत रहेगा तथा जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

-: साधारण सभा :-

सभी प्रकार के ट्रस्टीयों की सभा साधारण सभा कहलायेगी जो वर्ष में एक बार होगी । जिसका कोरम 1/5 होगा , कोरम के अभाव में सभा स्थगित होगी जो 1 घन्टे बाद उसी स्थान पर होगी, पुनः होने वाली सभा का एजेण्डा पूर्ववत रहेगा तथा जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

-: साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. मैनेजमेंट कमेटी का गठन (निर्वाचन पद्वति/ मनोनयन द्वारा) करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना ।
3. वार्षिक लेखों का अनुमोदन करना ।
4. अंकेक्षित लेखे प्रस्तुत करना ।
5. मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किए गये कार्यों, खर्चों का अनुमोदन करना ।
6. धर्मशाला के कुल ट्रस्टीयों के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में धर्मशाला के विद्यमान नियम/उप नियम/विधान में संशोधन/ परिवर्तन/ परिवर्धन की स्वीकृति देना ।

-: साधारण सभा की बैठके :-

1. साधारण सभा की वर्ष में कम से कम एक बैठक अवश्य आहूत की जायेगी, इसका कोरम कुल ट्रस्टीं का 1/5 होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित करनी होगी

लेकिन वही बैठक पुनः 1 घन्टे बाद उसी स्थान पर आयोजित हो सकेगी । पुनः होने वाली बैठक का एजेण्डा पूर्ववत रहेगा तथा जिसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

2. साधारण सभा की वार्षिक बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व धर्मशाला के सभी प्रकार के ट्रस्टीं को लिखित में पत्र द्वारा एवं वैष्णव समाज की विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से दी जायेगी जिसमें बैठक का सम्पूर्ण एजेण्डा अंकित होगा ।

–: धर्मशाला के लेखों का ऑडिट एवं वित्तियवर्ष :–

1. धर्मशाला के लेखों का वर्ष में एक बार स्थानीय ऑडिटर / लेखों के जानकार वैष्णव बन्धु से करवायी जायेगी ।
2. 3 वर्ष की अवधि पर धर्मशाला के लेखों की जांच सी.ए. के द्वारा करवायी जायेगी। ऑडिटर व सी.ए. की नियुक्ति मैनेजमेंट कमेटी करेगी ।
3. दानदाताओं को आयकर में छूट हेतु 80 जी के प्रमाण पत्र लेने हेतु विभाग के नियमानुसार कोषाध्यक्ष / महासचिव, इस कार्य हेतु नियुक्त ट्रस्टी अथवा अन्य कार्यवाही करेंगे तथा छूट प्रमाण पत्र की जानकारी समाज को देंगे तथा रसीदों पर भी इसका उल्लेख करेंगे ।
4. धर्मशाला का वितिय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक का होगा

–: मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकीरयों के अधिकार व कर्तव्य :–

संरक्षक –

1. धर्मशाला की मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारियों एवं ट्रस्टीयों / साधारण सभा के ट्रस्टीयों को अखिल भारतीय वैष्णव (च.स.) धर्मशाला हरिद्वार के सम्बन्ध में उचित मार्ग दर्शन देना, धर्मशाला के विकास हेतु योजना बनाकर उसका कियान्वयन करना।
2. मैनेजमेंट कमेटी को आवश्यकता पड़ने पर वित्तिय साधन उपलब्ध करवाना ।
3. धर्मशाला की समस्त गतिविधियों की मोनेटरिंग करना ।
4. धर्मशाला सम्पति की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्पति में वृद्वि करना ।
5. धर्मशाला के उदद्देश्यों की पूर्ति हेतु मैनेजिंग कमेटी को कार्यकम सुझाना।
6. धर्मशाला का विभिन्न आयोजनों में प्रतिनिधित्व करना ।

अध्यक्ष –

1. धर्मशाला की मैनेजमेंट कमेटी / साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना
2. मैनेजमेंट कमेटी के निर्णयों की पालना करवाना ।
3. धर्मशाला की समस्त गतिविधियों पर नजर एवं नियंत्रण रखना ।
4. धर्मशाला सम्पति की सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्पति में वृद्वि करना ।
5. धर्मशाला के उदद्देश्यों को कियान्वित करना तथा करवाना ।
6. धर्मशाला का विभिन्न आयोजनों में प्रतिनिधित्व करना ।
7. धर्मशाला के लिए चल एवं अचल सम्पति खरीदना, बेचना, किराये पर देना इत्यादि

उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष की अनुपस्थित में बैठकों / सभाओं का संचालन करना।
2. धर्मशाला की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करना ।

3. आय व्यय पर नियन्त्रण तथा लेखे की समयबद्व प्रविष्टियां करवाना तथा लेखा प्रगति देखना तथा लेखा कार्मियों का सहयोग करना ।

महासचिव

1. धर्मशाला कार्यालय का प्रबन्ध एवं संचालन करना ।
2. आवश्यक पत्र व्यवहार करना ।
3. प्रत्येक बैठकों की लिखित सूचना देना तथा बैठकों की कार्यवाही अभिलेख संधारण करना ।
4. धर्मशाला की ओर से भू-सम्पदा क्रय करना ,दान, चंदा, अनुदान, भेंट,सहायता आदि स्वीकार करना ।
5. संरक्षक, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आदेशों की पालना करना, मैनेजमेंट कमेटी के निर्देशों का कियान्वयन करना।
6. व्यवस्था के मुख्य उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए विधान की प्रतिष्ठा एवं उसकी मर्यादा बनाये रखवाना ।
7. अध्यक्ष की आज्ञा से मैनेजमेंट कमेटी व साधारण सभा की बैठकें बुलाना।
8. मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों को कियान्वित करना व कराना व अगली बैठक में प्रगति देना ।
9. निश्चित समय पर आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत करवाना व प्रकाशित करना ।
10. वार्षिक बजट बनाकर मैनेजमेंट कमेटी तथा साधारण सभा में स्वीकृती हेतु पेश करना ।
11. आन्तरिक व्यवस्था के सम्बन्ध में नियमों को बनाना तथा उनमें संशोधन एवं परिवर्तन करवाना ।
12. धर्मशाला की चल व अचल सम्पति की रक्षा करना, अचल सम्पति किराये पर देना, नोटिस देना व खाली कराना, किराया वसूल करना तथा अन्य व्यवस्था करना व तमाम जायदाद के बाबत कानूनी व अदालती कार्यवाही करना। कानूनी एवं अदालती कार्यवाहियां अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से करने का अधिकार रहेगा यानि समस्त न्यायिक एवं विभागीय कार्यवाही करना इत्यादि ।
13. अध्यक्ष के साथ मिलकर धर्मशाला के लिए जरूरी सामान खरीदना तथा अनावश्यक सामान बेचना, हिसाब तथा अन्य कागजात व्यवस्थित करना ।

संयुक्त सचिव

1. महासचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
2. पुस्तकालय वाचनालय आदि की देखरेख करना और उनके व्यवस्थित रूप से चलते रहने की योजना बनाना ।
3. धर्मशाला की चल-अचल सम्पति की पंजिका तैयार करना और पहचान चिन्ह धर्मशाला सम्पति पर अंकित करवाना , लिखना ।
4. विभिन्न प्रतियोगिताओं , गोष्ठियों , उत्सव, महोत्सव सम्मेलनों का आयोजन करवाना ।

कोषाध्यक्ष

केश का सम्पूर्ण कार्य संधारण, प्राप्त राशि की रसीद देना, केस बुक निर्धारण कार्य, वाउचर्स संधारण तथा वित्तीय कार्यवाही करना, लेखों पर नियन्त्रण, बजट तैयार करना, बिल भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही, लेखों की वार्षिक और त्रि-वार्षिक ऑडिट करवाना । 80, जी आयकर विभाग से प्रमाण-पत्र लेना / सी.ए. ऑडिट करवाना,

महासचिव, सहकोषाध्यक्ष आदि से समन्वय बनाकर कार्य करना , बैठकों में आय-व्यय प्रस्तुत करना । धर्मशाला की मैनेजमेंट कमेटी के निर्देशों की पालना करना आदि-आदि ।

उपकोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष के कार्यों को अध्यक्ष व महासचिव की अनुमति से करना तथा कोषाध्यक्ष उपस्थित होने पर उन्हें सम्पूर्ण कार्यों से अवगत करवाना तथा उन्हें चार्ज देना व सहयोग करना ।

मुख्य संयोजक

अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार के लिये लोगों को जोड़ना,विभिन्न प्रकार के आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने में संरक्षक, अध्यक्ष, महासचिव, मुख्य समन्वयक व कोषाध्यक्ष को मार्गदर्शन करना, आयोजनों की बागडोर/ कमान संभालना इत्यादि-इत्यादि

मुख्य समन्वयक

अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार के ट्रस्टियान में व मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों में समन्वय बनाऐ रखना, अन्य संस्थाओं से समन्वय बनाऐ रखना; अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार के लिये लोगों को जोड़ना,विभिन्न प्रकार के आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने में संरक्षक, अध्यक्ष, महासचिव, मुख्य समन्वयक व कोषाध्यक्ष को मार्गदर्शन करना, आयोजनों की बागडोर/ कमान संभालना इत्यादि-इत्यादि

ऑडिटर

समय -समय पर धर्मशाला के लेखों की जांच करना तथा त्रुटि होने पर उसे नियमानुसार दुरूस्त करवाना तथा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा दिये गये कार्य को सहर्ष करना।

कार्यकारिणी सदस्य

मिटिंगस् में उपस्थित होना, मिटिंगस् में लिये गये निर्णयों के कियान्वयन में सहयोग करना, सुझाव देना, लोगों को जोड़ना इत्यादि-इत्यादि

-: सामान तथा दस्तावेज आदि की सुरक्षा :-

1. धर्मशाला की चल-अचल सम्पति जो धर्मशाला के नाम की है, का कुल विवरण पंजिका में लिख कर दस्तावेजी सूची बनाकर, तथा अन्य मूल्यवान कागजों भाड़ा चिटिट्यों आदि को सुरक्षित अलमारी (लोहागारो) में रखा जायेगा उनके तालों की चाबी संरक्षक, अध्यक्ष, महासचिव अथवा संयुक्त सचिव के पास रहेगी ।
2. धर्मशाला की साधारण चल सम्पति जैसे तांबा, पितल एवं स्टील इत्यादि के बर्तन, बिछाने, जाजमें , बर्तन, दरिये व पाटिये, कुर्सीया, इलेक्ट्रीक उपकरण आदि स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा , इनकी सुरक्षा का दायित्व मैनेजमेंट कमेटी द्वारा नियुक्त व्यक्ति/व्यवस्थापक का होगा अथवा इसका चार्ज जिसे भी सौंपा जायेगा उसका रहेगा । नया सामान खरीदने तथा पुराना अनावश्यक सामान बेचने की कार्यवाही मैनेजमेंट कमेटी की स्वीकृति के द्वारा की जायेगी।

–:प्रमाणिकरण:–

यह प्रमाणित किया जाता है कि अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार जो संक्षिप्त में वैष्णव धर्मशाला हरिद्वार कहलायेगी, **अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) विकास ट्रस्ट (रजि.), मुम्बई (महाराष्ट्र)** के अधीन संचालित है तथा जिसके संचालन हेतु उपरोक्त वर्णित नियम/उप नियम/विधान वर्तमान में विद्यमान हैं जिसका अनुमोदन अखिल भारतीय वैष्णव (चतुः सम्प्रदाय) धर्मशाला हरिद्वार की आम सभा (उद्घाटन समारोह) में दिनांक 28.12.2013 को सर्व सम्मति से किया जा चुका है ।

(जयन्ति लाल बी. वैष्णव)	**(रामचन्द्र जे. वैष्णव)**	**(एन.डी. निम्बावत)**	**(भानुशंकर वैष्णव)**
संरक्षक	**अध्यक्ष**	**महासचिव**	**कोषाध्यक्ष**